(17)

भोपाल राज्य गज़ट

असाधारण

भोपाल शासन द्वारा प्रकाशित

वर्ष ५३ } भोपाल, मंगलवार, दिनांक ९ मार्च, १९५४ ई० { अंक

भाग—३ विभाग ३

रेवेन्यू डिपार्टमेंट

विज्ञप्ति

क्रमांक ११

दिनांक ९ मार्च, १९५४ ई०

इन्डियन फारेस्ट एक्ट को धारा २९ के अन्तर्गत जैसा कि भारत सरकार ने विज्ञप्ति नं० १०४-जे, दिनांक २४-८-१९५० के अन्तर्गत अधिकार दिया है, चीफ कमिश्नर महोदय, भोपाल, ग्राम डोंगरिया, तहसील गौहरगंज के छोटे जंगल को जिसका क्षेत्रफल ४७४९.९४ एकड़ है और जो कि माल विभाग से वन विभाग के आधीन मन्जूर किया जा चुका है, प्रोटेक्टेड वन (Protected Forests) घोषित करते हैं।

ग्राम डोंगरिया के निवासी रजिस्टर वाजिब-उल-अर्ज में बतलाये हुए अधिकारों के अनुसार उनका उप-भोग करते रहेंगे।

सीमा

उत्तर :—नदी जामनेर जो कि ग्राम सिलारी, टिमकली और बिनाचोरी की हद बनाती है।

दक्षिण :—नीलगढ़, ग्राम डोंगरिया और धुंधवानी के खसरा नं० १० और २५।

पूर्व —सरवारा, डोंगरिया ग्राम के खसरा नं० ९४ और ९६।

पश्चिम :—ग्राम डोंगरिया के खसरा नं० २ और ३।

क्षेत्रफल का विवरण

खसरा नं०			क्षेत्रफल (एकड़ में)
४/१	...	...	५८.७९
५/१	...	...	२२७.१०
११	...	...	२६७.४२
१३	...	...	१११.८६
१४	...	...	८६.९८
१६/१	...	...	३३१.४३
१८	...	...	६५.८२
२२	...	...	११.७२
२३	...	...	६१६.१७
२०	...	...	७१.१०
३०	...	...	३१.१६
३२	...	...	२६५.६१
३५	...	...	१७.९५

खसरा सं०		रकबा [illegible]
८५	...	९.६९
८६	...	[illegible].२९
६२/२	...	३६३.९३
३९	...	४४५.६३
मीजान	...	४७४६.६४

म० स० दास,
कमिश्नर।

विज्ञप्ति

दिनांक ६ मार्च, १९६४ ई०

२

इंडियन फारेस्ट एक्ट (Act XVI of 1927) की धारा ३० के अन्तर्गत जैसा कि भारत सरकार की नं० १०५-ले, दिनांक १४-८-१९५० ई० के अनुसार अधिकार दिया गया है, चीफ कमिश्नर महोदय, भोपाल, प्रोटेक्टेड फारेस्ट्स (Protected Forests) में निम्नलिखित बातों की मुनादी करते हुए उनको इंडियन फारेस्ट एक्ट सन १९२७ की धारा ३३ के अनुसार दण्डनीय कार्य घोषित किया है :--

(अ) वृक्षों का काटना, उनके टापों और खाई बनाना, टहनियों का काटना, वृक्षों को गोदना या किसी वृक्ष का जलाना या वृक्षों की छाल या पत्तियों का निकालना या उनको किसी अन्य प्रकार से हानि पहुँचाना।

(ब) दस्तकारी या कारीगरी के लिये खदान से कोई पत्थर खोदना या चूना या कोयला बनाना या उनका जमा करना अथवा किसी वन उपज का निकालना।

(स) कृषि या किसी अन्य उपयोग के लिये किसी जमीन का तोड़ना या साफ करना।

म० स० दास,
कमिश्नर